International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 20-02-2023, Accepted: 07-03-2023, Published: 23-03-2023
Volume 9, Issue 2, 2023, Page No. 28-31

नक्सलवादः भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती

संजेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन, विभाग, एल.एस.एम.राजकीय, महाविद्यालय, पिथौरागढ़, उत्तराखंड, भारत

सारांश
किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा दो तरह से मापी जा सकती है, वाहय सुरक्षा एवं आन्तरिक सुरक्षा भारत विश्व का एक विस्तृत क्षेत्रफल एवं विशाल जनसंख्या वाला देश है। जहां विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय, मान्यताए विघमान है। भाषा की विविधता के साथ साथ भौगोलिक भिन्नताऐं पायी जाती है। भारत की वाह्य सुरक्षा पडोसी देशों एवं महाशक्तियों की प्रतिद्वन्दिता से प्रभावित होती हैं, वही आन्तरिक सुरक्षा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक असामनता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषा विवाद, जल बंटवारे की समस्या जन जातीय विद्रोह, निर्धनता, श्रमिकों के विवाद आतंकवाद, नक्सलवाद आदि रहा हैं।

मूल शब्दः विद्रोह, असमानता, प्रतिद्वन्दिता, क्रांति, नक्सलवाड़ी, सर्वहारा

विषयवस्तु विष्लेषण

नक्सलवाद नक्सलवाड़ी नामक शब्द से बना है जो कि पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी अनुमण्डल में स्थित एक कस्बे का नाम है। ये नेपाल से 4 मील, बंग्लादेश से 14 मील, सिक्किम से 30 मील तथा तिब्बत से 50 मील की दूरी पर स्थित है।[1] जो स्त्रातेजिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। इस क्षेत्र के तीन स्थान– नक्सलवाड़ी, खारी बाड़ी और फाँसीदेवा 256 वर्ग मील में फैले हुए हैं।[2] यहाँ की जनसंख्या 1967 में 42000 थी।[2] जहाँ ज्यादातर आदिम जनजाति के लोग रहते थे। इसी क्षेत्र में जमीन को लेकर उभरी हिंसा खूनी हथियार के रूप में उग्र आन्दोलन नक्सलवाद के रूप में उग्रवादी नेता कानू सान्याल, चारू मजूमदार, जंगल संथाल, कदम मलिक एवं मुजीर्बुरहमान आदि के केन्द्रीय नेतृत्व में नक्सली विचारों का जामा पहन लिया।

यह 1967 में तब शुरू हुआ जब जमींदारों द्वारा छोटे किसानों पर किये जा रहे उत्पीड़न के फलस्वरूप इन नेताओं ने हिंसा का मार्ग अपनाया। 1967 से 1980 तक नक्सलवादी घटनाओं पर मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा का प्रभाव था वहीं अब ये पूर्णतः हिंसक रूप लेकर राष्ट्र की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बन चुका है।

नक्सलवाद ने अपने पावं आधे से ज्यादा भारत में फैला लिए है, आंकडों के अनुसार देश के 20 राज्य और 236 जिले नक्सल प्रभावित है। देश का हर तीसरा जिला नक्सलवाद की जकड़ में है, नक्सलवादी जब चाहते है, बैंक लूटते है, पुलिस अफसरों का अपहरण करते है, पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के जवानों के साथ अमानवीय व्यवहार करते है, रेलगाडियां रोकते है, यात्रियों की हत्या करते है। और पिछले कुछ समय से तो नक्सलवादियों ने बड़े बड़े राजनेताओं को भी निशाना बनाना शुरु कर दिया है।[3]

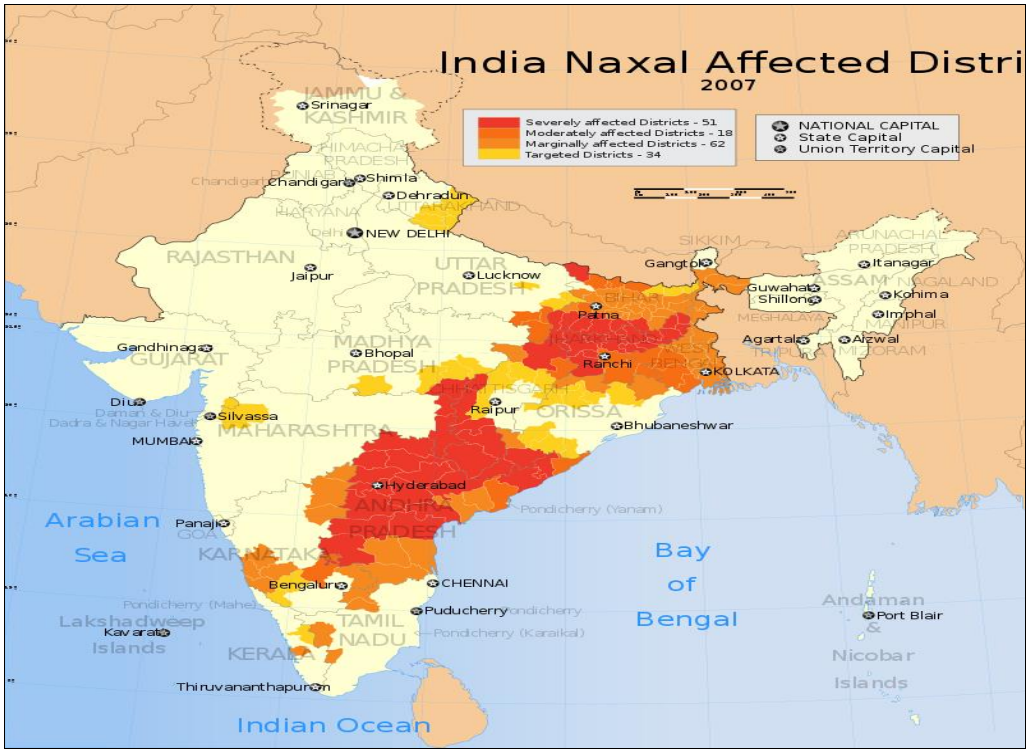

wwwnaxalwadefectedariaimage.in

छतीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवादियो ने भीषण हमला करके जिस तरह राज्य के कांग्रेसी नेताओं की हत्या की है, और 13 जून 2013, को 150 से अधिक माओवादियो ने धनबाद से पटना आरही इंटर सिटी एक्सप्रेस को जुमई और मानपुर रेलवे स्टेशनों के बीच रोक कर हमला किया जिसमे रेलवेपुलिस के 2 जवानों सहित तीन लोग मारे गए। इन घटनाओं से यह जाहिर है कि माओवादियों ने देश के विभिन्न राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। जो कि आज भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद सबसे गम्भीर समस्या है।[4] आतंकवादी तरीकों का आश्रय लेना नक्सली आन्दोलन का एक अविभाज्य अंग बनता जा रहा है। किन्तु नक्सलवाद और आतंकवाद को एक नहीं माना जा सकता। नक्सली हिंसा केवल कानून–व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं समझी जानी चाहिए बल्कि इसका हल उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के निदान में निहित है। नीति बनाने और लागू करने वालों को यह समझना चाहिए कि नक्सली तब तक आंतरिक अशांति पैदा करते रहेंगे जब तक उनकी आर्थिक समस्याएं निपटाई नहीं जाएगी।[5]

सर्वहारा की क्रान्ति एवं सर्वहारा का नारा लगाने वाले नक्सली आन्दोलन के तीन मुख्य व घोषित उद्देश्य थे।

1. खेत जोतने वाले को खेत का हक मिले।
2. विदेशी पूँजी की ताकत समाप्त की जाय।
3. वर्ग एवं जाति के विरूद्ध संघर्ष हो।

वास्तव में नक्सलवादी विचार को सैद्धांतिक समर्थन अप्रैल 1969 में मिला जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नवीं कांग्रेस सम्पन्न हुई। जिसमें माओ के विचारों, जिनको मार्क्सिज्म व लेनिनिज्म की चरम सीमा कहा जाता था, का उपयोग करते हुए नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार ने घोषणा की थी कि ''चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है'' इस प्रकार स्वाधीन भारत के इतिहास में नक्सलवाड़ी आन्दोलन मात्र एक किसान एवं भूमिहीन वर्ग की जागृति का ही परिणाम नहीं था, बल्कि भारतीय समाज के क्रानिकारी परिवर्तन हेतु कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों ने चीन में सम्पन्न हुई कम्युनिस्ट क्रान्ति से सबक सीखते हुए लेनिनवाद, मार्क्सवाद और माओत्से तुंग विचार धारा को अपना प्रस्थान बिन्दु माना। सामन्तवाद को समाप्त करने हेतु साम्यवाद का यह संघर्ष उस समय उग्र हुआ जब भूमिहीन किसान एवं उपेक्षित सामाजिक वर्ग ने भी इसका दामन थाम लिया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि नक्सलवाद एक विचारात्मक राजनीतिक व आर्थिक संघर्ष था। जो तत्कालीन शासक वर्ग की राजसत्ता को उखाड फेंकना चाहता था। ऐसा शासक वर्ग की राजसत्ता को जिसके मालिक देशी, विदेशी, पूँजीपति, भू–स्वामी, ठेकेदार, दलाल और नौकरशाह है और बहुतायत श्रम जीवी वर्ग पर शासन करते हैं, परन्तु वर्तमान समय में वह सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति का नारा लगाने वाला नक्सलवादी आन्दोलन अपने मूलभूत सिद्धान्तों उद्देश्यों व कार्य प्रणाली से दिगभ्रमित हो चुका है। यह अपनी हिंसक गतिविधियो से राष्ट्र की आंतरिक शांति, सुरक्षा एवं विकास के मार्ग में एक अवरोधक बन चुका है।

प्रमुख नक्सलवादी संगठन

पीपुल्स वार ग्रुप

इस संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को कोडापल्ली सीतारमैया द्वारा की गई थी इस संगठन के 54 कोर अकेले आन्ध्रप्रदेश में अपनी गतिविधियां चला रहे है पीपुल्स वार ग्रुप की पाक खुफिया ऐजेन्सी आई0एस0आई0 और नेपाल के माओवादियों से गहरे सम्बन्ध है।

पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी

यह पीपुल्स वार ग्रुप की एक शाखा है जिसका गठन 2 दिसम्बर 2000 ई0 में किया गया था इसका गठन फिलीपीन्स के आतंकी संगठन न्यू पीपुल्स पार्टी और पेरू के आतंकी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तर्ज पर किया गया है। पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी के कई कोर बिहार, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सक्रिय है।

माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर

इसकी स्थापना कन्हाई चटर्जी और अमूल्या सेन द्वारा 20 अक्टूबर 1969 ई0 में की गयी थी यह बिहार और झारखण्ड में सक्रिय माआवादी संगठनो में सबसे खतरनाक है सन् 1971 ई0 में बिहार से अपनी गतिविधि की शुरूआत करने वाले इस संगठन ने कई बड़े नरसंहार किये हैं।

सी. पी. आई.–एम एल पीपुल्स वार ग्रुप

पहले यह सी0 पी0 आई0 एम एल के नाम से जाना जता था 11 अगस्त 1999 को पी डब्लू के साथ इसके विलय के बाद इसका नाम सी पी आई एम एल पीपुल्स वार ग्रुप हो गया। इसका गठन सन 1978 ई0 में एन0प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। यह बिहार के 25 जिलों में सक्रिय है।

सी. पी. आई.–एम. एल लिबरेशन

पूर्व में सी पी आई–एम एल के नाम से जाने जाना वाला यह संगठन चारू मजूमदार द्वारा 1969 ई0 में गठित किया गया था। इसे यह नाम सुब्रतोदाश उर्फ जौहर ने 70 के दशक में उस वक्त दिया था, जब सरकार ने नक्सली संगठनो पर कठोर कार्यवाही की थी।

तालिका 1: जनवरी 2000 से 2019 तक हुए नक्सली हमले में मारे गये नागरिकों एवं सुरक्षा बलों की संख्या निम्न है

सन् (Year)	हत्या की घटना (Incidents of Killing)	नागरिक (Civilians)	सुरक्षाकर्मी (Security Forces)	आंतकवादी /विप्लवी/उग्रवाद (Terrorists/ Insurgents/Extremists)	निर्दिष्ट नहीं (Not Specified)	कुल (Total)
2000′	1910	1260	573	2260	28	4121
2001	2802	1508	883	3005	108	5504
2002	2329	1255	721	2454	181	4611
2003	2321	1280	524	2328	216	4348
2004	1679	849	531	1465	134	2979
2005	1750	1105	439	1584	111	3239
2006	1376	966	400	1283	146	2795
2007	1290	932	439	1218	113	2702
2008	1122	915	366	1232	92	2605
2009	1158	685	435	1112	31	2263
2010	883	757	359	746	21	1883
2011	555	393	199	465	2	1059
2012	539	274	132	429	2	837
2013	442	308	177	386	2	873

2014	523	400	167	441	4	1012
2015	437	176	152	398	3	729
2016	492	204	178	525	0	907
2017	443	204	172	435	1	812
2018	477	217	183	540	0	940
2019	332	159	132	330	0	621
Total**	22860	13847	7162	22636	1195	44840

*Data since March 6, 2000, ** Data till, March 04, 2019Source: Compiled from news reports and are provisional.

निष्कर्ष

नक्सलवादी समस्या का एक अहम पहलू भारत में भूमि सुधारों के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति का अभाव है। आदिवासी जिनके पुरखों का हजारों वर्षों से जंगलों में वास रहा है जंगली जमीनों पर उनका अधिकार रहा है, आदिवासी आज भी उन जमीनों के मूल स्वामी है परन्तु 1980 के वन संरक्षण कानून के द्वारा उनकों उनकी भूमि से वंचित कर दिया गया उनकी आजीविका का स्रोत उनसे छीन लिया गया वे असहाय हो गये। यह सर्वाधिक हृदय विदारक है। सरकार को इसका सर्वमान्य हल ढूँढ़ना होगा। आदिवासियों को भूमि का पुनर्वितरण करके उन्हें उनकी आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जा सकता है। व्यवस्था सरकार को बनानी है रास्ता उसे ढूँढ़ना है शर्त सिर्फ यह है कि किसी भी वर्ग के हितों की अनदेखी न हो। 'बंधोपाध्याय कमेटी' ने अपनी रिपोर्ट में छोटे और हाशिये पर ड़ाल दिये गये किसानों को उनके कुछ सुरक्षित अधिकारों के साथ पट्टे पर भूमि देने की अनुशंसा की है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि भूमिहीन गरीब जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है उन्हें अतिक्रमणकारी न माना जाय।[6] यह एक दयनीय स्थिति है कि जहाँ दुनिया के कई देश भूमि आवंटन के मामले में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं वहीं भारत उनसे काफी पीछे है। चीन में जहाँ उपजाऊ भूमि के 45 प्रतिशत हिस्से का पूनर्वितरण छोटे और गरीब किसानों को किया गया वहीं जापान और दक्षिण कोरिया में क्रमशः 33 प्रतिशत और 32 प्रतिशत भूमि का पूनर्वितरण किया गया। इनकी तुलना में भारत की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है यहाँ आजादी के बाद से अब तक मात्र 2 प्रतिशत भूमि का आबंटन ही किया जा सका है। इस स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है। संवैधानिक उपायों द्वारा इस क्षेत्र में ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यदि भूमि सुधार का कार्य सम्पन्न कर लिया जाय तो नक्सलियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसका वे वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे छिन जायेगा। भारत की आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल का महत्व काफी अधिक है। नक्सलवाद के सम्बन्ध में तो नेपाल की और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेपाली माओवादियों से नक्सलवादियों के काफी करीबी रिश्ते हैं। नक्सलवादियों को उनसे हथियार भी प्राप्त होते हैं। नेपाल के रास्ते चीन नक्सल वादियों को हर तरह का सहयोग मुहैया करा कर भारत को आन्तरिक रूप से अस्थिर करने की कोशिश में है। इसी तरह भारत–नेपाल के मध्य खुली सीमा होने का फायदा उठा कर पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेन्सी आई. एस. आई. के ऐजेन्टों को नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करा रहा है। सूचनाएँ है कि केरल के जंगलो में आई एस आई एजेन्ट नक्सलवादियों को प्रशिक्षण देने के कार्य में भी संलग्न हैं। इसके लिए आवश्यक है कि नेपाल से लगी सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाय जिससे हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति पर रोक लगे। सीमा पर खुफिया एजेन्सियों का विस्तार करना होगा जिससे पाकिस्तानी एजेन्टों तथा चीनी कोशिशों की पहचान कर उन कोना काम किया जा सके। नक्सलवादी समस्या से निपटने के क्रम में सुरक्षा बलों द्वारा ज्यादतियाँ करने की शिकायतें भी आती है।[7] आवश्यकता इस बात की है कि पहले तो पुलिस या सुरक्षा बलों को सख्त हिदायत दी जाय कि वे ऐसी ज्यादतियों से बचें तथा सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने का सक्रिय प्रयास करना चाहिए। दूसरे, ज्यादतियों की शिकायतों के निष्पक्ष जाँच की व्यवस्था होनी चाहिए तथा दोशी को दण्ड द्वारा ऐसी घटनाओं को हतोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। इस के साथ ही साथ सरकार को ज्यादती की शिकायतों की नियमित जाँच के लिए एक प्रणाली भी विकसित करने की आवश्यकता है। लेकिन यह सारे प्रयास केवल दिखाने के लिए न हों बल्कि गंभीरता और ईमानदारी से किए जायँ। हाँलकि केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न विकास एवं रोजगारपरक कार्यक्रमों के जरिये नक्सलवादी गतिविधियों में लिप्त युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे है। इसे हम देश के वर्तमान नक्सल प्रभावित मानचित्र से समझ सकते हैं।

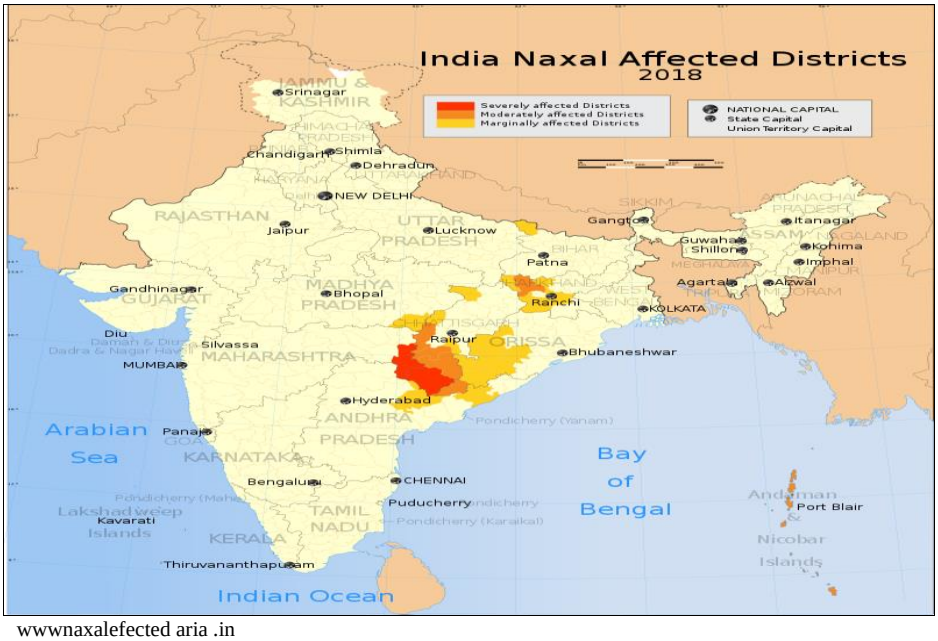

wwwnaxalefected aria .in

लेकिन अभी भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। जिससे नक्सलवाद को पूर्णरूप से समाप्त किया जा सके।

सुझाव

- नक्सलवाद के सामाजिक–आर्थिककारणों से निपटने की कुंजी सुशासन और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वयन में निहित है।
- नक्सली खतरे से राजनीतिक सुरक्षा एवं विकास तथा लोक अवधारणा प्रबंधन के मोर्चो पर एक साथ समग्र रूप से निपटना चाहिए।
- नक्सलवादियों के विरूद्ध स्वैच्छिक स्थानीय प्रतिरोधी समूहों को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखे जाने चाहिए।
- नक्सली भय के कारण जो ठेकेदार व कर्मी विकास कार्य करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किये जाने की आवश्यक है।
- केन्द्र सरकार को सुरक्षा तथा विकास दोनों मोर्चो पर प्रभावित राज्यों के प्रयासों एवं संसाधनो में सहयोग करना जारी रखना होगा तथा इस अवस्था से सफलता पूर्वक निपटने के लिए राज्यों के बीच बेहतर सम्बन्ध स्थापित करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. गुप्त, डॉ0 परशुराम, ''नक्सल विद्रोह समस्या एवं समाधान,'' प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2012, पृ0 1
2. National Seminar Proceeding, Future of India's Internal Security: Challenges and Responses", Deptt. of Defence and Strategic Studies, North Maharashtra University, Jalgaon,2014:71:3-4.
3. अभय दुबे (स), भारत का भूमण्डलीकरण, वाणी प्रकाशन नईदिल्ली, पृ0 77
4. निरंकार सिंह, आम आदमी की हताशा, दैनिकजागरण, 1 फरवरी 2005, पृ0 6
5. अरूधंती राय, डूंट्रकीयस एन जायज थैक्स गीविग्स ? द हिन्दू, 18 जनवरी, 2006, पृ0 06
6. डॉ0 दयाल जे0 नक्सलवाद : सुरक्षा, चुनौती या अमन का सवाल, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2010, पृ0 55
7. सिंह कुमार राकेश, नक्सलवाद और पुलिस की भूमिका, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मत्रांलय,
8. नई दिल्ली, 2012, पृ0 26